न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 691/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
अमीनखां पुत्र दीन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देताणी तहसील गडरारोड़ हाल बाड़मेर शहर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर		तहसीलदार वाडमेर, जिला वाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री केसराराम विश्नोई, वकील प्रार्थी पक्ष।
2. पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 12.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी व स्वामित्व की भूमि मौजा बाडमेर शहर पटवार क्षेत्र बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 3348/1674 रकबा 0.3237 हेक्टयर गैर मुमकिन उद्योग की हुई है जो भूमि प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की भूमि है। प्रार्थी की भूमि की अलग से तरमीम राजस्व रेकर्ड में की गई है परन्तु वर्तमान में राजस्व रेकर्ड को कम्प्यूटरीकरण किया गया तब लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा व स्वामित्व में अन्तर है तथा प्रार्थी के मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीम नहीं की गयी। राजस्व अधिकारियों को प्रार्थी की भूमि की मौके के कब्जे व स्वामित्व के अनुसार तरमीम करनी थी परन्तु राजस्व अधिकारियों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किये बिना राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय गलत तरमीम कर दी है जिसे प्रार्थी दुरस्त करवाने का विधिक अधिकारी है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय प्रार्थी के मौजूद कब्जा के अनुसार नहीं करके गलत (अशुद्ध) श्तरमीम कर दी गई अर्थात लठ्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त भूमि के मौके के कब्जे में भिन्नता है, प्रार्थी के पुराने कब्जे के अनुसार मौके पर संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार कब्जा चला आ रहा है तथा चीणे रोपकर बाड़ की हुई है। परन्तु वादग्रस्त भूमि की मौके पर कब्जे की जांच किये बिना ही लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई जो मौके पर कब्जा के अनुसार नहीं की गई है। जबकि मौके पर लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार प्रार्थी का कब्जा नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर शहर पटवार क्षेत्र बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 3348/1674 रकबा 0.3237 हेक्टेयर गैर मुमकिन उद्योग की लठ्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरस्त कर मौके पर कब्जा अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार दुरस्त (शुद्धिकरण) करवा[illegible]देश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashartth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:48:23 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर [illegible] से [illegible] रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./[illegible]5/3726 दिनांक 29.08.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा बाड़[illegible] शहर के खसरा नम्बर 3348/1674 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। जिसमें सदर थाना के खसरा नम्बर 3352/1674 से दूर है, जबकि मौके पर उक्त खसरा सदर थाना के खसरा नम्बर 3352/1674 के लगता हुआ संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''ब''

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

अनुसार है। मौके पर कब्जे अनुसार परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित तरमीम दुरस्ती करने से रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा तरमीम दुरस्त करने की अनुशंषा की गई है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाडमेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मौजा बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 3348/1674 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट में संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार तरमीम शुद्व किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2074–2077 व जमाबंदी संवत 2075–2078 का अवलोकन किया गया तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 3348/1674 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। जिसमें सदर थाना के खसरा नम्बर 3352/1674 से दूर है, जबकि मौके पर उक्त खसरा सदर थाना के खसरा नम्बर 3352/1674 के लगता हुआ संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। मौके पर कब्जे अनुसार परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित तरमीम दुरस्ती करने से रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 3348/1674 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए मौजा बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 3348/1674 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि की अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:48:23 IST
Reason: SelfAttested

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर